कम्प्यूटर परिपत्र सं० 1718093 दिनांक 26-02-2018

पत्र संख्या- कमि0वा0क0(निरीक्षण अनुभाग)/ 2017-18/ 1021 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,मुख्यालय, लखनऊ

(निरीक्षण अनुभाग)

दिनांक:: लखनऊ :::: 26 फरवरी, :::2018

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(अपील),
वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश ।

विषय :-अच्छे व खराब कर निर्धारण आदेशों के सम्बन्ध में ।

मुख्यालय पर समीक्षा करने पर प्राय: यह देखने में आ रहा है कि अनेक मामलों में कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा वाद के तथ्यों एवं विधि की घोर अवहेलना करते हुये अधिक या कम टर्नओवर निर्धारित किया जा रहा है साथ ही अनेक अन्य मामलों में करनिर्धारण अधिकारियों द्वारा गुणात्मक रुप से अच्छे आदेश भी पारित किये जा रहे हैं ।

अत: प्रश्नगत विषय पर सम्यक् विचारोंपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि प्रत्येक एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(अपील)वाणिज्य कर ऐसे करनिर्धारण आदेशों में जहॉं राजस्व की क्षति हो अथवा महत्वपूर्ण विधिक बिन्दुओं की अवहेलना की गयी हो, से सम्बन्धित सबसे खराब तीन करनिर्धारण आदेशों की प्रतियॉं एवं इनके सम्बन्ध में पारित अपीलीय आदेशों की प्रतियॉं प्रेषित करें । इसीप्रकार ऐसे तीन अच्छे करनिर्धारण आदेश एवं उसके सम्बन्ध में पारित अपीलीय आदेशों की प्रतियॉं उपलब्ध करायें ताकि इनका संज्ञान लेते हुए प्रदेश के अन्य करनिर्धारण अधिकारियों को संज्ञापित किया जाये । ऐसे अच्छे अथवा खराब आदेश के सम्बन्ध में कारणों सहित वित्तीय वर्ष के प्रत्येक त्रैमास के अन्त में अगले माह की 15 तारीख से पूर्व मुख्यालय को अवश्य उपलब्ध करायेंगे । यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से वर्तमान वित्तीय वर्ष-2017-18 के चतुर्थ त्रैमास से लागू मानी जायेगी । यह अपेक्षा रहेगी कि एकपक्षीय रुप से पारित आदेशों का समावेश अच्छे/खराब कर निर्धारण आदेशों के चयन में न किया जाए ।

कृपया उक्त निर्देशों का तद्नुसार अनुपालन करना सुनिश्चित करें ।

23/2

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर ,वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।